प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
फर्रूखाबाद।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष,
फर्रूखाबाद।

पत्रांक– मु0चि0अ0 / त0नि0प्र0 / कोरोना वायरस / 2019–20 / 5254 दिनांक– 20 मार्च 2020

विषयः– प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव हेतु समस्त सरकारी एवं निजी प्रतिष्ठानों में पान–मसाला एवं तम्बाकू उपभोग को प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के शासनादेश– 786 / तीन–18–6(9)18 दिनांक– 12 अक्टूबर, 2018 द्वारा दिनांक– 02 अक्टूबर 2018 द्वारा प्रदेश के समस्त शासकीय प्रतिष्ठानों के मुख्यालयों सरकारी प्रतिष्ठानों एवं स्थानीय कार्यालयों में तम्बाकू एवं तम्बाकू के प्रयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जा चुका है तथा पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा सभी सरकारी प्रतिष्ठानों में तम्बाकू एवं पान मसाला के उपभोग को पूर्णतया प्रतिबन्धित करने के निर्देश दिये जा चुके है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) को महामारी घोषित किया जा चुका है तथा भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस विश्व व्यापी महामारी को गम्भीरता से लेते हुए इसकी रोकथाम एवं बचाव हेतु दिशा–निर्देश एवं हेल्पलाइन नम्बर–18001805145 जारी किया गया है।

चूकि तम्बाकू एवं पान मसाला का सेवन कर इधर–उधर थूकने से कोरोना वायरस (COVID-19) के फैलने में सहायक हो सकता है एवं प्रधानमंत्री महोदय द्वारा बहुउद्देश्यीय स्वच्छ भारत मिशन व अन्य बीमारियों की रोकथाम हेतु भी तम्बाकू व पान मसाला का सेवन बड़ी बाधा है।

अतः आप उक्त स्थिति को देखते हुए तत्काल सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के नियमों / उपनियमों एवं सार्वजनिक स्थान पर तम्बाकू एवं पान मसाला खाकर यत्र–तत्र थूकने पर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
फर्रूखाबाद।

पत्रांक व दिनाक उक्त–

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 लखनऊ।
2. राज्य नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य भवन उ0प्र0 लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद।
4. नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम, फर्रूखाबाद।
5. जिला कार्यक्रम / लेखा प्रबन्धक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, फर्रूखाबाद।

जनपद सलाहकार,
एन0टी0सी0पी0, फर्रूखाबाद।
मो0 न0– 9473515546

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
फर्रूखाबाद।